

सेवा में,

विद्यालय प्रबंधन  
कार्मेल स्कूल  
मसूरी रोड, चम्बा  
(टि० ग०) उत्तराखंड

(RECENT  
PASSPORT  
SIZE  
PHOTOGRAPH  
WITHOUT  
MASK)

**विषय - कक्षा छठी से लेकर नौवीं तक के छात्र - छात्रा को विद्यालय भेजने का अभिभावक अनुमति पत्र -**

महोदय,

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी०एम०-1(ए) दिनांक 30-09-2020 एवं शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार के पत्र फाइल संख्या 11-16/2020Sch.4, दिनांक 05-10-2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures) जारी किये गए हैं।

श्रीमती सीमा जौनसारी, निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून, उत्तराखंड के आदेश संख्या पत्रांक /विविध/32/1659-68/2020-21, दिनांक -02/फरवरी/2021 तथा कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्बा, टिहरी गढ़वाल पत्रांक /1983/विविध/2020-21 दिनांक -02/फरवरी/2021 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में विद्यालय में कक्षा छठी से लेकर कक्षा नौवीं तक को खोलने तथा अपने पाल्य को विद्यालय भेजे जाने की अनुमति दिए जाने के क्रम में, मैं श्री / श्रीमती \_\_\_\_\_ अपने पुत्र /पुत्री \_\_\_\_\_ छात्र / छात्रा, कार्मेल स्कूल, चम्बा, प्रवेश संख्या \_\_\_\_\_, कक्षा \_\_\_\_\_ वर्ग \_\_\_\_\_, रोल नंबर \_\_\_\_\_ को विद्यालय को सुरक्षित पाते हुए दिनांक 08-02-2021 से सहर्ष विद्यालय भेजने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ। साथ ही मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पारिवारिक सदस्य बुखार / खांसी / साँस लेने में तकलीफ आदि से पीड़ित नहीं हैं और मेरे बच्चे कि सुरक्षा के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ।  
अभिभावक का नाम व पूरा पता \_\_\_\_\_

दिनांक:- \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2021 मोबाइल संख्या \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर(अभिभावक) \_\_\_\_\_

**दिशानिर्देश:**

1. सभी विद्यार्थी सेनिटाइज़ होने और तापमान चेक होने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे।
2. किसी भी छात्र को बिना मास्क पहने स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें इसे पूरे स्कूल के घंटों में पहनना चाहिए।
3. शारीरिक दूरी बनाए रखें - कोई हैंडशेक नहीं, कोई गले न लगाएं, समूहों में इकट्ठा न हों
4. अध्ययन सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, इन्स्ट्रूमेंट बॉक्स, किताबें या कॉपियां उधार न लें। छात्रों को अपने स्वयं के टिफिन, पानी की बोतलें और निजी सेनिटाइज़र लाना चाहिए।
5. स्कूल कैंपस में मोबाइल फोन पर सख्त पाबंदी है।
6. इस्तेमाल किए गए मास्क को स्कूल कैंपस में डिस्पोज न करें।
7. अपने हाथों को बार-बार साफ करें।
8. रोजाना साफ यूनिफॉर्म पहनें।
9. स्कूल के बाद प्रतिदिन यूनिफॉर्म धोएं।

**सूचना :-**

जो भी अभिभावक अपने पाल्य को विद्यालय में अध्ययन हेतु नहीं भेजना चाहते हैं तो वह एक हस्तलिखित पत्र के द्वारा अपनी असहमति व्यक्त कर स्कूल कार्यालय में जमा करें जिसमें अभिभावक का नाम तथा हस्ताक्षर, छात्र / छात्रा का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, छात्र / छात्रा का नाम, प्रवेश संख्या, कक्षा एवं वर्ग तथा मोबाइल संख्या का अंकित करना सुनिश्चित करें।

(THIS FORM IS MEANT ONLY FOR THE STUDENTS OF CLASS - VI TO IX STUDYING IN CARMEL SCHOOL, CHAMBA)